

डब्लूएस०एस० बिहार में दलित और कमजोर वर्ग की लड़कियों पर यौन उत्पीड़न और उनपर किए जा रहे हमलों का विरोध करता है

अक्टूबर, 2018 में सुपौल के थपरखा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दलित जाति की लड़कियों पर महिलाओं, नवजावानों और पुरुषों की भीड़ द्वारा हमले कि घटना की डब्लूएस०एस० कड़ी निंदा करता है। वहीं दूसरी ओर, 28 अक्टूबर, 2018 की रात को भोजपुर जिले के विशुनपुर गांव में यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर 9वीं क्लास की छात्रा की दबंग जाति के व्यक्ति ने हत्या कर दी गई। यह छात्रा भी उस दबंग जाति के व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न का विरोध कर रही थी जिसके कारण उसे मार डाला गया।

सुपौल में घटी घटना कई स्तरों पर परेशान करने वाली है और सरकारी तंत्र और व्यवस्था की कमी को बखूबी बयां करती है। थपरखा स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की दलित लड़कियों के लिए यौन उत्पीड़न से जूझना कोई नई बात नहीं रही है। वे गांव के लड़कों द्वारा यौन उत्पीड़न काफी समय से झेलती आ रही हैं और उसका विरोध भी करती रही हैं। थपरखा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय गांव के बीचोंबीच स्थित है, उनका छात्रावास विद्यालय से सटा ही हुआ है। गांव के लड़कों द्वारा स्कूल की लड़कियों को भद्दी बातें कहना और छात्रावास की दीवारों पर भद्दी टिप्पणियां लिखना आम बात सी रही है। लड़कों के इस अपमानजनक रवैये के खिलाफ लड़कियां प्रशासन से शिकायत करती रही हैं, दीवार पर लिखी भद्दी बातों को मिटाती रही हैं और उन लड़कों को ऐसा नहीं करने के लिए आगाह करती रही हैं। पर इसका भी उनके ऊपर कोई असर ना हुआ। घटना के रोज जब लड़कियां छात्रावास से सटे मैदान में खेल रही थीं, तभी उन लड़कों की टोली आ कर उन्हे भद्दी बातें कहने लगे और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। इसके जवाब में लड़कियों ने उन लड़कों को पीट कर भगा दिया। इससे गुरस्साए लड़कों ने अपने परिजनों को गांव में इकट्ठा कर वापस छात्रावास की ओर रुख किया और 100 से ज्यादा लोगों ने उनपर लाठी-सोटे से लैस होकर हमला बोल दिया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि यौन उत्पीड़न का विरोध कर रही उन लड़कियों पर इस हमले में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस हमले में घायल हुई लड़कियां और यौन उत्पीड़न करने वाले लड़कों और हमला करने वाली भीड़ दोनों ही दलित जाति से संबंध रखते हैं।

वहीं दूसरी ओर 28 अक्टूबर, 2018 को प्रदेश के भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र अंतर्गत विशुनपुर गांव में दबंग जाति (यादव जाति) के दबंग व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न का विरोध करने और एफ० आई० आर० दर्ज कराने की वजह से 9वीं क्लास की छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 27 अक्टूबर यानि कत्तल के एक दिन पहले गांव के ही रहने वाले कलक्टर यादव के बेटे राकेश यादव ने रात के वक्त शौच के लिए गई तो लड़की का हाथ जर्बदस्ती पकड़ लिया और जर्बदस्ती करने लगा। जब लड़की चिल्लाई तो उसके पिता दौड़े-दौड़े आए और राकेश यादव भाग गया। 28 अक्टूबर की सुबह लड़की ने पिता के साथ जाकर एफ० आई० आर० दर्ज कराया। थाने से लौटकर आने पर मां घास काटने गई हुई थी और भाई मजदूरी करने गया हुआ था। ऐसे में लड़की के घर पर सिर्फ उसकी छोटी बहन और लड़की ही थे। इस बात का फायदा उठा कर राकेश यादव उसके घर गया और लड़की का गला धोंटकर मार डाला। इस मामले में लड़की द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलाए करने और थाने में शिकायत करने के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस लड़की की हत्या प्रशासन के निकटमेपन और यौन उत्पीड़न के मामले में ठोस कदम ना उठा पाने के कारण हुई है। दलित और कमजोर वर्ग के साथ उच्ची जाति या दबंग जाति द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले जब पुलिस और प्रशासन की नजर में आते हैं या इस बारे में शिकायत की जाती है तो प्रशासन द्वारा शायद ही उसे रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाता हो।

सुपौल और भोजपुर में दलित और कमजोर वर्ग की छात्राओं पर यौन उत्पीड़न, सुपौल में छात्राओं पर भीड़ द्वारा हमला, और भोजपुर में 9वीं क्लास की छात्रा की हत्या, यह सब दलित और कमजोर वर्ग की महिलाओं के खिलाफ होने वाली बहुआयामी हिंसा और उसमें समाज के हर तबके, जाति और ढांचों के मिली—भगत को साफ—साफ जाहिर करता है। इस घटना से यह साफ है कि हमारा समाज जहां “मीटू” के दौर में शहरी इलाकों के बुर्जुवा भद्र महिलाओं द्वारा यौन हिंसा और उत्पीड़न के किस्सों को स्वीकार रहा है और कई स्तरों पर अपनी सहानुभूति भी दर्ज कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, यह समाज दलित महिलाओं द्वारा उनके ऊपर हो रहे यौन हिंसा को लेकर आवाज उठाने की हिमाकत को बिलकुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन्हें अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी सजा सुना देता है। कभी यह सजा मार—पिटाई में बदल जाती है तो कभी कत्त्व में। हमारे समाज के कायदों के हिसाब से उच्च जाति और दबंग जाति के पुरुषों को दलित महिला पर आधात पे आधात करने की पूरी छूट है। दलित महिलाओं का सार्वजनिक तौर पर अपमान और उनपर हिंसा की घटनाएं आम हैं, पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने पर भीड़ द्वारा हमला या उनका कत्त्व कर देना एक खतरनाक सामाजिक कायदे की तरफ इशारा करता है जिसकी जड़ें पुरुषसत्तात्मक ब्राह्मणवाद और जातिवाद में धरी हैं।

एन0सी0आर0बी0 के डेटा के हिसाब से बिहार दलितों के खिलाफ हिंसा में उत्तर प्रदेश के बाद अबल आता है। बिहार अकेले दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा का 14 प्रतिशत हिस्सा अपने नाम करता है। यह प्रदेश में दलित समुदाय की स्थिति को बयां करता है। साथ ही, प्रदेश में यौन हिंसा से सुरक्षा और राहत से जुड़े जो आधारभूत ढांचे होने चाहिए वह भी नदारत है। इन सब के अलावा, प्रदेश में कस्तूरबा विद्यालयों की जर्जर हालत, ससाधनों की कमी और सुरक्षा का अभाव को ध्यान में रखते हुए यह बात साफ है कि राज्य दलित महिलाओं और लड़कियों के प्रति ओछेपन और लापरवाही भरा रवैया रखता है। वहीं, इस साल जून में प्रदेश के 14 बालगृहों में कमजोर तबकों से आने वाले बच्चों (खास कर लड़कियों) के प्रति शरीरिक हिंसा, यौन हिंसा और लापरवाही के मामले सामने आए हैं, जो बताते हैं कि हाशिये पर रह रहे बच्चों के विकास और सुरक्षा के लिए जो ढांचे (जैसे कि — सी0डब्लू0सी0, जिला बाल संरक्षण अधिकारी) बनाए गए थे वह कागजी लिखा—पढ़ी के अलावा जमीनी स्तर पर दिखते नहीं बनते। और, जहां ये ढांचे बने भी हैं तो वे इन बच्चों के शोषण में ही लगे हैं। इसके अलावा, इसी साल जनवरी से लेकर आज तक कई ऐसे मामले प्रदेश के जेहानाबाद, भोजपुर, नालंदा और मुजफ्फरपुर जिलों में घटित हुए जिनमें दलित लड़कियों के ऊपर यौन हिंसा की विभृत्स घटनाएं घटित हुई हैं और प्रशासन ने उन सभी मामलों में लीपा—पोती करने की पूरी कोशिश की है। इससे कमजोर वर्ग, नीतिश—मोदी सरकार का दलित और महिला विरोधी रवैया साफ—साफ झलकता है। कमजोर तबकों और हाशिये पर रह रहे समुदायों से आने वाली लड़कियों और महिलाओं की सम्मान के साथ जीने की जद्दोजहद और उनके अधिकार राज्य, सरकार और समाज की नज़र में कोई मायने नहीं रखते। इन घटनाओं से कुछ बातें साफ होती हैं कि यह नीतिश—मोदी की ब्राह्मणवादी, मनुवादी और जातिवादी सरकार दलित और कमजोर तबके से आने वाली लड़कियों और महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के बजाय उनके अस्तित्व को नकारने और उनके मानवाधिकारों के हनन में लिप्त है।

इन सब के अलावा इस बात पर भी गौर करना जरुरी है कि हम “मीटू” के दौर में जी रहे हैं। महिलाएं यौन उत्पीड़न और हिंसा से जुड़ी अपनी आपबीती सुना रही हैं। वे सत्ता में बैठे उन पुरुषों के नकाब उतार रही हैं जो अपने ओहदे का दुरुपयोग कर महिलाओं का कार्यस्थल और अन्य जगहों पर यौन उत्पीड़न करते रहे हैं। लेकिन जब हम हाशिये पर रह रही दलित, आदिवासी और कमजोर वर्ग की लड़कियों द्वारा यौन उत्पीड़न के विरोध की बात करते हैं तो एक गहरी चुप्पी सी छा जाती है। यह चुप्पी सिर्फ हमारे घरों में नहीं, बल्कि मीडिया प्रतिष्ठानों, सत्ता के गलियारों, कार्यस्थलों, न्याय तंत्र और यहां तक की हमारे नारीवादी संगठनों, बाल अधिकारों, जनतांत्रिक अधिकारों पर काम करने वाले समुहों में भी देखने को मिलती है। सरकार के लिए इन दलित लड़कियों के मानवाधिकारों का हनन कोई मायने

नहीं रखता। यह बात दलित महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले कई ऐसे जाति आधारित हिंसा की घटनाओं से सामने आती हैं। उनमें से एक खैरलांजी की घटना है जिसे भूला नहीं जाना चाहिए। 2006 में एक ही दलित परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा गया, महिलाओं, लड़कियों और लड़कों के साथ यौन हिंसा की गई और उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। सरकारी तंत्र और पुलिस प्रशासन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि मामले में इंसाफ ना हो पाए। वहीं, इस घटना की खबर घटना घटने के करीबन 1 महीने बाद अखबारों में आई। इसके अलावा, दलित और कमज़ोर वर्ग के अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों के अलावा किसी ने इस मामले में हुए अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। यह सब सरकार, समाज, मीडिया, प्रतिष्ठानों और आंदोलनों के जातीय ढांचे को बेनकाब करता है जिसके अंतर्गत दलित लड़कियों पर होने वाली जातीय हिंसा की खबर को खबर नहीं माना जाता, उनके मानवाधिकारों का हनन नारीवादी संगठनों, बाल अधिकारों, जनतांत्रिक अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों में आक्रोश नहीं भरता और उनकी मौत या हिंसा सरकारी आंकड़ों में तबदील होकर रह जाती है जिनका उपयोग रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है।

पर, शहरों से आने वाली सांस्कृतिक पुंजी (अंग्रेजी भाषी) से लैस उच्च व दबग जाति और उच्च वर्ग से आने वाली महिला जब कार्यस्थल या अन्य जगहों पर अमानवीय यौन हिंसा का सामना करती है और "मी टू" के अंतर्गत उसे बयां करती हैं, तो ऐसे में सत्ता के गलियारों में सनसनी फैल जाती है। सरकार और संस्थानों को ऐसे मामलों में टिप्पणी करने पर मजबूर होना पड़ता है, कम से कम कार्यवाही करने का ढांग करना पड़ता है, मीडिया ऐसी खबरों को अहमीयत देकर प्राईम टाईम डिबेट करता है और ऐसी घटनाएं नारीवादी संगठनों व जनतांत्रिक अधिकारों पर काम करने वाले समूहों के लिए इतिहास और आंदोलन का रुख बदल देती हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार, मीडिया और नारीवादी संगठन, बाल अधिकार और जनतांत्रिक अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों का रवैया कमज़ोर वर्ग और ग्रामिण इलाकों से आने वाली दलित महिलाओं व लड़कियों और शहरी उच्च जाति/उच्च/मध्यम वर्ग महिला के उत्पीड़न के बीच एक लकीर खींच देता है और उनके साथ असमानता से पेश आता है। और यह अंतर और असमान रवैया इन संस्थानों और संगठनों के अलोकतांत्रिक और जातीय सोच व ढांचे के कारण बनता जाता है। इसलिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रभुत्व और सत्ता का केन्द्रिकरण केवल सामाजिक स्तर पर जेंडर के आधार पर नहीं होता बल्कि इनका केन्द्रिकरण राज्य, बाजार, सांविधानिक ढांचों और आंदोलनों में जाति, वर्ग, जेंडर, धर्म जैसे मानकों के आधार पर होता है।

डब्लू० एस० एस० ग्रामिण इलाकों में यौन हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली हमारी दलित, आदीवासी और कमज़ोर वर्ग की बहनों के साथ खड़ा है। हम उन चंद समूहों का हौसलाफजाई करते हैं जिन्होंने इन मामलों में हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। हम दलित लड़कियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और विरोध करने पर उनपर होने वाली हिंसा का कड़ा विरोध करता है। हम नीतिश-मोदी सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को यौन उत्पीड़न और उसके बाद हुई हिंसा के खिलाफ सुरक्षा ना दे पाने की निंदा करते हैं। साथ ही, हम बिहार के भोजपुर जिले में नाबालिक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाले दबंग जाति के व्यक्ति द्वारा हत्या को रोकने में विफल नीतिश-मोदी सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही होने की सुचना नहीं मिली है।

हमारी मांगें:

- हम नीतिश-मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वह बिहार में बढ़ते यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में सरकारी बयान जारी कर इन घटनाओं की निंदा करे और इन घटनाओं को रोकने में सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करे

- हम नीतिश—मोदी सरकार से यही मांग करते हैं कि वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, पूरे राज्य में कस्तूरबा विद्यालय की स्थिति और उनमें रहने वाली लड़कियों को दी जाने वाली सुविधाओं और सुरक्षा के इंतजामात की रिपोर्ट सार्वजनिक करे
- कस्तूरबा विद्यालय के संचालन की समय—समय पर बाहरी और निष्पक्ष ऐजेंसी द्वारा सोशल आडिटिंग करा कर जांच करवाई जाए और उसे आम लोगों के साथ साझा किया जाए
- भोजपुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने पर कमज़ोर तबके की लड़कियों की हत्या के मामले में अपराधी के खिलाफ तुरंत पोक्सो के तहत कार्यवाही करने, उनके धर—पकड़ और मृत लड़कियों के परिवार को सुरक्षा, मुआवजा और राहत देने की मांग करता है

यौन हिंसा और राजकीय दमन के खिलाफ महिलाएं (डब्लू० एस० एस०)

नवम्बर 2009 में गठित डब्लू० एस० एस० एक गैर—अनुदान प्राप्त जमीनी प्रयास है। इस अभियान का मकसद है – हमारे शरीर और हमारे समाज में हो रही हिंसा को खत्म करना। हमारा नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और इसमें औरतें व ट्रांसजेंडर अनेक राजनैतिक परिपाटीयों, जन संगठनों, नारी संगठनों, छात्र व युवा संगठनों, नागरिक अधिकार संगठनों व व्यक्तिगत स्तर पर हिंसा व दमन के खिलाफ सक्रिय हैं। हम औरतों और लड़कियों के विरुद्ध किसी भी अपराधी/अपराधियों द्वारा की जा रही हिंसा व दमन के खिलाफ हैं।

संयोजक – अजीता, निशा, रिनचिन और शालिनी; ईमेल – againstsexualviolence@gmail.com